निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1938 (श0)

(सं0 पटना 631) पटना, सोमवार, 1 अगस्त 2016

सं0 08/आरोप–01–92/2014,सा०प्र०—7709

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

31 मई 2016

श्री परमानन्द कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1151/2008, 916/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) सम्प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के विरुद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1058, दिनांक 26.02.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–932, दिनांक 24.02.2009 द्वारा निलंबित भी किया गया। कालान्तर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16463, दिनांक 28.11.2014 द्वारा ये निलंबन मुक्त हुए। इस प्रकार ये दिनांक 24.02.2009 से दिनांक 28.11.2014 तक निलंबित रहे।

3. आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इस क्रम में श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन प्रत्युत्तर की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर सम्यक् समीक्षा के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13418, दिनांक 07.09.2015 द्वारा श्री कुमार को **निन्दन** एवं **प्रोन्नति पर एक वर्ष के लिए रोक (प्रोन्नति की देय तिथि से प्रभावी)** का दंड संसूचित किया गया।

4. उक्त दंडादेश की कंडिका 06 के अनुपालन में श्री कुमार के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय हेतु विभागीय पत्रांक–13579 दिनांक 09.09.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–11 (5) के आलोक में उन्हें अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

5. इस क्रम में श्री कुमार ने अपने पत्रांक–294, दिनांक 21.09.2015 द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया तथा दिनांक 24.02.2009 से दिनांक 28.11.2014 तक की निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान का अनुरोध किया है। उन्होंने लम्बी अवधि तक निलंबित रहने के तथ्य को अंकित करते हुए इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर गहन समीक्षा के उपरांत उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत श्री परमानंद कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–916/11 के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके निलंबन अवधि (दिनांक 24.02.2009 से दिनांक 28.11.2014 तक) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

(क) निलंबन अवधि के लिए मात्र 75% (पचहत्तर प्रतिशत) वेतन देय होगा।

(ख) अन्य प्रयोजनों के लिए उक्त अवधि (निलंबन अवधि) सेवावधि के रूप में मानी जायेगी।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 631–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in